न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 78/2017/अपील

1. शिवनारायण पुत्र मुखा जाति मीणा निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
2. मुन्ना पुत्र मौलाबक्स जाति मणियार (मुसलमान) निवासी कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

अपीलान्टान

बनाम

1. सुशीला पत्नि करतार सिंह जाति मीणा निवासी ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर
2. तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
3. भूदा पुत्र मुखा जाति मीणा निवासी ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.05.2017 मु.न. 02/2017
अनुवानी सुशीला बनाम भूदा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री रामेश्वरलाल
वकील रेस्पोडेंट श्री रामचन्द्र बगड़िया

निर्णय **दिनांकः— 13.07.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दिनांक 17.02.2016 को एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के समक्ष इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 3353 रकबा 1.60 हैक्टर ग्राम कांवट की प्रार्थीया 2/3 हिस्से की खातेदार है। जिसके दक्षिणी पश्चिमी कोने से पश्चिमी सीमा के साथ सहखातेदार भूदा पुत्र मुखा जाति मीणा व मुन्ना पुत्र मौलाबक्स जाति मणियार ने दबाकर भूदा ने 18 फिट व मुन्ना ने पूर्व की ओर 9 फिट अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी को आदेश जारी कर रिपोर्ट चाही। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 के अनुसार खसरा नम्बर 3321 के खातेदार ने खसरा नम्बर 3353 के कुछ भाग पर कब्जा कर रखा है। तत्पश्चात योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.05.2017 को आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 3353 पर से अपीलांट व परफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित कर दिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 3353 रकबा 1.60 हैक्टर वाके ग्राम कांवट की स्वयं 2/3 हिस्से की खातेदार होने का अभिकथन किया। शेष 1/3 की भूमि की खातेदारों का कोई विवरण पेश किया, न ही खसरा नम्बर 3353 का बंटवारा होने का प्रमाण पेश किया। खसरा नम्बर 3353 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा दड़की पत्नि कानाराम, संतोष देवी पुत्री कानाराम, करतार सिंह. जगमाल सिंह, प्रभूदयाल पुत्रगण कानाराम ओर है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 3321 से स्पष्ट था कि खसरा नम्बर 3321 के खातेदार अपीलांट संख्या 1 प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अलावा बरजी पत्नि मुख्या,

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हिताधिकारीगण या प्लॉटधारियों में से केवल मात्र अपीलांट संख्या 2 को पक्षकार बनाते हुए कार्यवाही की गयी, जबकि खसरा नम्बर 3358 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक था। अपीलांट संख्या 1 व प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की भूमि खसरा नम्बर 3321 व खसरा नम्बर 3353 के मध्य कदीमी डोल है। जिस पर पुराने कुंचे खड़े है व खसरा नम्बर 3358 पर भी अपीलांट संख्या 2 पिछले 30 वर्ष से पुख्ता मकान बनाकर आवास निवास कर रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2017 को निरस्त किये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली में पटवारी हल्का कांवट ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 में अंकित किया है कि सीमाज्ञान के अनुसार मुखा के वारिस बरजी, नानची, सुखदेवी, कोयली, भूदाराम, शिवनारायण जाति मीणा द्वारा प्रश्नगत आराजी पर कब्जा सीमाज्ञान के अनुसार कर अतिक्रमण कर रखा है। रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 में अंकितानुसार उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया सुशीला ने अपने आवेदन दिनांक 17.06.2016 में अंकित किया है कि सीमाज्ञान आदेश संख्या 37 क्रमांक 11 दिनांक 07.12.2015 की पालना में गिरदावर द्वारा किये गये सीमाज्ञान से भी भूदा पुत्र मुखा जाति मीना व मुन्ना पुत्र मोला बक्श मणियार द्वारा अतिक्रमण करना सिद्व पाया गया है। लेकिन इस सम्बंध में प्रार्थीया सुशिला देवी द्वारा उल्लेखित सीमाज्ञान की रिपोर्ट सहित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सीमाज्ञान किये जाने बाबत कोई दस्तावेज उपलब्ध है। प्रश्नगत आराजी सहखातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीया सुशिला द्वारा अपने आवेदन में समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रश्नगत आराजी में प्रार्थीया सुशिला देवी पत्नी करतारसिंह हिस्सा 5/8 अंकित है। उक्त भूमि की खातेदारी संयुक्त खातेदारी है जिसमें शेष खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है एवं प्रार्थिया का विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा किस आधार पर माना है जबकि समस्त भूमि संयुक्त सहखातेदारी की है। इस सम्बंध में कोई ठोस दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के सभी सहखातेदारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करे एवं प्रश्नगत आराजी का पुनः सीमाज्ञान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official